न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 6/2021/(2021/6) जिला–नागौर

भागुराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी सरदारपुरा कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हलका छापरी खुर्द, तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक, निम्बीकलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार राजस्व, मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर कलक्टर, डीडवाना दिनांक 30–12–2020
अन्तर्गत अपील संख्या 65/2020 बउनवान
भागुराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

—————

उपस्थित– 1. श्री दिलीप सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः–

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हलका छापरी खुर्द तहसील डीडवाना ने नायब तहसीलदार मौलासर के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध मौजा सरदारपुरा कंला में स्थित आराजी खसरा संख्या 171 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 बीघा भूमि पर सम्वत 2075 में पक्की दीवार बनाकर कब्जा करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही किये जाने के निवेदन पर नायब तहसीलदार मौलासर ने दिनांक 24–4–2018 को

अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 33/2018 दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात पुनः दिनांक 12–2–2019 को अपीलार्थी के नाम नोटिस जारी किये जाकर आगामी तारीख पेशी 6–3–2019 नियत की। दिनांक 6–3–2019 को अपीलार्थी की पत्नी के नाम सम्मन तामील होकर प्राप्त होने एवं अपीलार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित आदेशिका में लिखकर पत्रावली वास्ते एक पक्षीय आदेश दिनांक 13–3–2019 को निर्णय पारित करते हुए आदेश पारित कर पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजी राजकीय भूमि पर पक्की दीवार बनाकर कब्जा करने पर अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश पारित कर लगान की दर 0.75 रूप्ये का 50 गुना जुर्माना राशि 05 रूपये भी कायम कर दी। इस आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने उभय पक्षों की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2020 द्वारा अपीलार्थी को बिना नोटिस तामील करवाये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये नायब तहसीलदार, मौलासर के निर्णय को निरस्त नहीं कर अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने निर्णय पारित करते समय इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी को दिनांक 6–3–2019 की पेशी हेतु जारी नोटिस स्वयं अपीलार्थी को व्यक्तिगत तामील नहीं कराया गया। तामील कुनिन्दा द्वारा सम्मन चुकादेवी द्वारा प्राप्त किये जाने का उल्लेख कर तामील रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य के तौर पर हस्ताक्षर नहीं है जबकि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा तामील कराये जाने को प्रमाणित किया जाना आज्ञापक है। ऐसी तामीली को विधि के अनुसार सम्यक नोटिस की तामीली नहीं मानी जा सकती है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजियात पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज नहीं है तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में राजस्व अधिकारियों की भूलवश दर्ज हो गया। इसी आधार पर पटवारी ने रिपोर्ट बनाकर नायब तहसीलदार के यहां प्रस्तुत कर दी जो साबिक राजस्व रेकार्ड एवं हाल राजस्व रेकार्ड की तुलनात्मक जांच का विषय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बावजूद धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहारा लेकर बिना जांच करवाये व अपीलार्थी को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन

निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार मौलासर का निर्णय मात्र संबंधित पटवारी हलका की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के तर्को के आधार पर पारित किया गया है। नायब तहसीलदार, मौलासर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान के 50 गुणा पैनल्टी से दण्डित किया जावे। साथ ही विवादित आराजियात की कोई भौतिक जांच नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त योग्य हैं

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रखकर सीधे अंतिम निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 का प्रकरण राजनैतिक दबाव व द्वेषतावश संबंधित पटवारी हलका व भू–अभिलेख निरीक्षक पर दबाव बनाकर दर्ज करवाया गया था। नायब तहसीलदार मौलासर ने केवल पटवारी हलका व भू–अभिलेख निरीक्षक के तर्को के आधार पर अपीलधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया गया है तथा संबंधित पटवारी हलका व भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान तक रेकार्ड पर नहीं लिये गये। इस कारण धारा 91 का प्रकरण बयानों के अभाव में सिद्ध नहीं था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के निर्णय दिनांक 30–12–2020 एवं नायब तहसीलदार मौलासर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–2019 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का विधिसम्मत अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि नायब तहसीलदार, मौलासर ने पटवारी हलका छापरी खुर्द एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 171 रकबा 0.01 बीघा गै0मु0रास्ता की भूमि पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की लिए अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया जो विधिवत रूप से तामीली पश्चात अपीलार्थी को विवादित आराजियात से अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश पारित कर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा गै0मु0रास्ते की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रति बंधित भूमि में आती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा अपीलार्थी को बेदखली के आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2020 रेकार्ड पर तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी

की अपील आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार, मौलासर ने पटवारी हलका छापरीखुर्द एवं भू–अभिलेख निरीक्षक निम्बीकंला की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सरदारपुरा कंला में स्थित आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै0मु0रास्ता में से 0.01 बीघा भूमि पर पक्की दीवार बनाकर कब्जा करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर उसे अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा गै0मु0रास्ते की भूमि पर नाजायज कब्जा किये जाने को आधार मानते हुए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि में मानते हुए नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत मानते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि नायब तहसीलदार, मौलासर ने केवल पटवारी हलका व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध धारा–91 की कार्यवाही की गई है। साथ ही अपीलार्थी को सम्मन नोटिस भी विधिवत रूप से तामील नहीं करवाया गया है। अपीलार्थी को स्वयं को नोटिस तामील नहीं कराया गया। नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा जारी नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है कि किसके सामने उसके द्वारा अपीलार्थी को नोटिस तामील कराया जबकि तामीली नोटिस पर गवाहों के हस्ताक्षर कराना आवश्यक होता है। नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, डीडवाना ने भी नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा पारित आदेश को धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का सहारा लेकर विवादित आराजियात की न तो भौतिक जांच कराई और ना ही अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करना कानूनन आवश्यक होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मगरा भूमियों को आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर कलक्टर, नागौर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2020 एवं नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–2019 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2020 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 65/2020 बउनवान भागुराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य तथा नायब तहसीलदार मौलासर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 33/2018 बउनवान भागूराम बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है और तहसीलदार, मौलासर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात खसरा संख्या 171 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 बीघा भूमि की भौतिक जांच कर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर